डीजी परिपत्र संख्याः–04/2022

मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार,
लखनऊ।

दिनांकःमार्च 31,2022

विषयः-क्रिमिनल मिस बेल सं0 2134/2022 दिलशाद अहमद उर्फ दिलशाद सिद्दीकी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य (सम्बन्धित मु0अ0सं0 -282/2021 धारा 147/148 /149/302 /120बी/387 भादवि व 7 सी.एल.ए एक्ट थाना आलमबाग, कमिश्नरेट लखनऊ में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.22 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों द्वारा योजित जमानत प्रार्थना पत्रों पर प्रस्तरवार आख्या के साथ अभियुक्तो का अपराधिक इतिहास उपलब्ध कराये जाने सम्बंधित निर्देश पूर्व में विभिन्न तिथियों में जारी डीजी परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये हैं किन्तु जनपद स्तर पर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित नही किया जा रहा है। क्रिमिनल मिस बेल सं0 2134/2022 दिलशाद अहमद उर्फ दिलशाद सिद्दीकी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य(सम्बन्धित मु0अ0सं0 282/2021 धारा 147 /148/149/302/120बी/387 भादवि व 7 सी.एल.ए एक्ट थाना आलमबाग, कमिश्नरेट लखनऊ में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है-

> 11. Not only in this case but in many other cases it is seen that there is an averment made that the applicant/accused is not involved in any other criminal case before this Court. The order rejecting bail by the courts below is silent about the criminal antecedents of the applicant/accused but on the basis of instructions of learned Additional Government Advocate of this Court or on the basis of instruction of learned counsels for the first informant, it transpires that the applicant/accused has previous criminal history. When the learned counsels are countered with the same it becomes embarrassing for them and is also an impediment in deciding the said bail application due to the non-disclosure of the criminal history of the accused. Although the criminal antecedents of the accused are not the sole and decisive factor for decision of bail applications but the same needs to be considered while deciding an application for bail under Section 439 Cr.P.C. as per the legislative mandate of Section 437 Cr.P.C.
>
> In the present case, it is evident that at the time of deciding the bail application prosecution was failed to place the criminal antecedent of the applicant. Director General of Police, U.P., Lucknow is directed to issue necessary direction in compliance of the direction of this Court in the case of Uday Pratap @ Dau (Supra) for placing criminal antecedent of the co-accused

persons before the court below at the time of deciding of the bail application and Director General of Police, U.P. Lucknow is directed to file affidavit of compliance within one month.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के समय अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास न उपलब्ध कराये जाने पर मा0 न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। आप सहमत होंगे कि अभियुक्तों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर आपराधिक इतिहास का अंकन न किये जाने से जहाँ एक ओर वादी को न्याय मिलने में विलम्ब होता है, वहीं दूसरी ओर अभियुक्तों को इसका लाभ जमानत के रूप में मिल जाता है, अतः अभियुक्तों द्वारा योजित जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में प्रेषित किये जाने वाली प्रस्तरवार आख्याओं के साथ अभियुक्तों का सम्पूर्ण आपराधिक इतिहास अवश्य संलग्न किया जाय।

मैं चाहूँगा कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक इतिहास उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निर्देशों से अपने अधीनस्थ विवेचनाधिकारियों/पर्यवेक्षण अधिकारियों की एक कार्यशाला का आयोजन कर विस्तार से अवगत करा दें तथा इन निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा निर्देशो के अनुपालन मे शिथिलता बरती जाती है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

31/3

(मुकुल गोयल)

1. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/
   प्रभारी जनपद/रेलवेज,
   <u>उत्तर प्रदेष।</u>
2. <u>पुलिस आयुक्त,</u>
   <u>लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी।</u>

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1– अपर पुलिस महानिदेषक कानून व्यवस्था/अभियोजन/रेलवे/सी0बी0सी0 आई0डी0/एस0आई0टी0/ए0टी0एस0 उ0प्र0।

2– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

3– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।